पंजीकृत

प्रेषक,

लाइसेंस प्राधिकारी एवं निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सेवा में,

मेसर्स–एस0के0फार्मा,
पता–पीतल नगरी,मुरादाबाद
जनपद–मुरादाबाद–244001 (उत्तर प्रदेश)।

संख्या: 124 /डी–6117/13 दिनांक :–12/01/22

विषय :– औषधि निर्माण लाइसेंस संख्या–ए–4465/2013 का भारत सरकार आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 01.10.2021 के अनुसार आयुर्वेदि औषधि निमार्ण हेतु एक बार लाईसेन्स (One Time Licence), एवं जी0एम0पी0 प्रमाण पत्र का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मुरादाबाद, के पत्र संख्या–1037 दिनांक–10.01.2022 एवं पत्र संख्या– 936 दिनांक–21.12.2021 तथा आपके दिनांक–रहित पत्र जिसके द्वारा नवीन नियमों के अनुसार शुल्क आदि जमा किया गया है, के सन्दर्भ में सूचनीय है कि औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 के नियम 154 के अन्तर्गत इस निदेशालय के पत्र संख्या–5229/डी–6117/2013 दिनांक–24.09.2013 द्वारा औषधियों के निर्माणार्थ आपको लाइसेन्स संख्या-A-4465/2013 प्रदान किया गया था, जिसकी वैद्यता दिनांक–19.09.2023 तक है, का प्रारूप–25 डी पर एक बार लाईसेन्स (One Time Licence) तथा जी0एम0पी0 प्रमाण पत्र Form 26 E-1 (See rule 155) पर प्रेषित किया जा रहा है।

आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि अच्छी विनिर्माण प्रणालियों (G.M.P.) का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे एवं शिड्यूल 'टी–ए' प्रारूप पर कच्ची औषधि का खपत विवरण National Medicinal Plants Board, Government of India के पोर्टल www.nmpb पर आनलाइन प्रेषित करते हुए प्रत्येक वर्ष समय समय पर इस निदेशालय को पावती प्रपत्र प्रेषित करेगें तथा फर्म का पंजीकरण भारत सरकार आयुष मंत्रालय के पोर्टल–e-aushadhi.gov.in पर सुनिश्चित करते हुये भविष्य में पोर्टल के माध्यम् से पत्राचार आदि की कार्यवाही सम्पादित करेगें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रो0 एस0एन0 सिंह)
लाइसेंस प्राधिकारी एवं निदेशक

संख्या: /डी–6117/13 दिनांक :–

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, मुरादाबाद को प्रारूप–25 डी पर एक बार लाईसेन्स (One Time Licence),एवं जी0एम0पी0 प्रमाण पत्र Form 26 E-1 (See rule 155) पर संलग्न करते हुये।
2. गार्ड फाइल।
3. पटल सहायक, द्वारा सम्बन्धित को ई–मेल के माध्यम से प्रेषण हेतु।

(प्रो0 एस0एन0 सिंह)
लाइसेंस प्राधिकारी एवं निदेशक